

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 19/2019 अपील

1. गोपाल पिता नन्दलाल मीणा, आयु 42 साल, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती भोरी देवी पुत्री नन्दलाल मीणा, आयु 32 साल, निवासी कनेरा, हाल पत्नी श्रवणमीणा, निवासी सरसिया चारण, भारनीकलां तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

- अपीलाण्ट्स

//बनाम//

1. कैलाशचन्द्र पिता नन्दलाल मीणा, आयु 37 साल, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत कनेरा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कनेरा।

- रेस्पोंडेण्ट्स

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 71, दिनांक 11.02.2016

ग्राम पंचायत कनेरा

निर्णय

दिनांक 08.03.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा सेमलिया पटवार हल्का कनेरा की नामान्तरकरण संख्या 71 जिसके नवीन खाता संख्या 51 की आराजी नं. 237 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात में अपीलाण्ट जन्म से काबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं। नन्दलाल पिता हरलाल मीणा के दो पत्नीयां मु. गंगा एवं मु. भुरी थी। गंगा के वारिस रेस्पोंडेंट कैलाशचन्द्र एवं मु. भुरी के वारिस गोपाल व भोरी देवी थे। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की जांच किये और बिना सूचना दिये उक्त नामान्तरकरण निर्णित कर दिया जिसमें संयुक्त रूप से अपीलाण्ट 1/2 हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होते हुए भी अपीलाण्ट का नाम नामान्तरकरण में नहीं लगाया। इससे अंसतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। यह नामान्तरकरण विधि विधान के विपरीत है, अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण खोलने से पूर्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नामान्तरकरण रूल्स 121 क्लॉज 1 की कोई पालना नहीं की और अधुरा नामान्तरकरण निर्णित किया। अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया तथा नियमों एवं तथ्यों की अधुरी विवेचना करते हुए जो निर्णय दिया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट की उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। मुआवजा राशि की लिस्ट में नाम नहीं होने पर गलत नामान्तरकरण की जानकारी हुई। जानकारी होते ही यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त

किया जावे तथा अपीलान्ट के नाम पूर्ण नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अपीलान्ट ने नकल जमाबन्दी संवत् 2071-74 ग्राम सेमलिया की खाता संख्या 51 और ग्राम सेमलिया की नामान्तरकरण संख्या 71 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। अन्दर मियाद हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के कम पढ़े लिखे किसान हैं जिन्हें कानूनी बारिकीयों एवं राजस्व रेकार्ड में फेर बदल की पूर्ण जानकारी नहीं होना स्वीकार योग्य तर्क है। अतः अपीलान्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट स्वयं को नन्दलाल की जाइन्दा संतान बताते हैं तथा विवादित भूमि में नन्दलाल के हिस्से में से 1/2 हिस्से पर अपना कब्जा काशत बताते हैं। प्रश्नगत नामान्तरकरण नन्दलाल की विरासत का इन्तकाल है। प्रश्नगत इन्तकाल में नन्दलाल के एकमात्र पुत्र कैलाश को सजरे में दर्शाया गया है। अपीलान्ट के नन्दलाल की जाइन्दा संतान होने की स्थिति में एवं मौके पर कब्जा होने की स्थिति में नन्दलाल की विरासत का निर्धारण करते हुए उनको सुनवाई का अवसर दिया जाना और पर्याप्त जांच किया जाना आवश्यक था जिसका वर्तमान प्रकरण में अभाव प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कनेरा का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 71, दिनांक 11.02.2016 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार निम्बाहेड़ा को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि मृतक नन्दलाल के वारिसान की पूर्ण जांच करते हुए, सभी प्रभावित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर एवं मौके तथा कब्जे की पूर्ण जांच करते हुए नन्दलाल की विरासत का निर्धारण किया जावे एवं नामान्तरकरण निर्णित किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 08.03.2021 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
आपराइड अधिकारी